

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

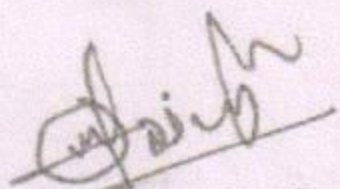
संख्या / ल०औ०वि०प्रा०

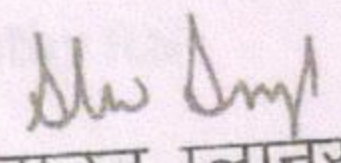
दि०.....

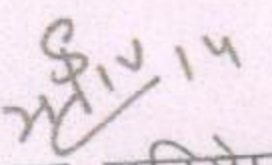
निर्माणार्थ अनुमति - पत्र

यह अनुमति उ० प्र० औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिंग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ श्री विनायक रामदयाल राय, पुत्र श्री रामदयाल मथुरा राय निदेशक, बेनेसा इन्फ्रास्टेक्चर डेवेलपर्स प्रा० लि० नि० पी० 419 टिक्कापुरवा इन्द्रा नगर लखनऊ ग्राम बिजनौर परगना बिजनौर तहसील लखनऊ जिला लखनऊ के खसरा सं० 947 एण्ड 948 पार्ट के क्षेत्रफल 3502.00 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर बहुमंजिले भवन (आवासीय) जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत बहुमंजिलीय भवन (आवासीय) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 137/लीडा/सी.ई.ओ./2013-14 के नोट पृष्ठ सं० 1से 10 पर दिनांक 17.04.13 को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।


(सहा० प्रबंधक परि०)
(जोन - लखनऊ)


(टाउन प्लानर)


(प्रबन्धक परियोजना)

दिनांक-